न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 17/2014

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. कंकुदेवी बेवा लादाराम		1. सुखीदेवी पत्नी मोहनलाल जाति मीणा निवासी दुजाना
2. थानाराम पुत्र लादाराम		2. तहसीलदार (भूमि–धारक) सुमेरपुर
3. भेराराम पुत्र लादाराम		
4. रामलाल पुत्र लादाराम		
5. टीपूदेवी पुत्री लादाराम		
6. सुखीदेवी पुत्री लादाराम		
7. रेखादेवी पुत्री लादाराम		
8. कमलादेवी पुत्री लादाराम जातिगण मेघवाल निवासीगण दुजाना तहसील सुमेरपुर		

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.9.2018

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 73/2012 सुखीदेवी बनाम कंकुदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.02.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम दुजाना के खसरा नम्बर 57/2093 रकबा 1.96 हैक्टेयर की भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 58 में से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट की भूमि में आवागमन का वैकल्पिक मार्ग के उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जैर अपील आदेश के जरिये रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है, जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थित में तैयार की गई है, जिसकी विश्वसनीयता संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त जो प्रत्युत्तर एवं तथ्य अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए है, उन तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन के मार्ग का अभाव होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से जो रिपोर्ट तलब की गई, उसमें तहसीलदार द्वारा यह स्पष्ट अंकित किया कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का अभाव है तथा रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लघु तम मार्ग, जो कि अपीलाण्ट की खातेदारी में से होकर था, को रास्ते हेतु रेस्पोडेन्ट को प्रदान कराने का आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि 57/2093 में आवागमन का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होना नक्शा लट्ठा से प्रमाणित होता है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें रेस्पोडेन्ट की खातेदारी में आवागमन का मार्ग खसरा नम्बर 57 में से होना जाहिर किया, जबकि तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा जो रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि में आवागमन का मार्ग खसरा नम्बर 58 में से होकर बताया है, जिसका अपीलाण्ट द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते का अनुतोष प्रदान किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा यायालय उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 73/2012 सुखीदेवी बनाम कंकुदेवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 14.02.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड भिजवाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय आज दिनांक 18.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली